

## डीबीएस बैंक की ग्राहक अधिकार नीति

ग्राहक सुरक्षा वित्तीय समावेशन का एक अभिन्न पहलू है। घरेलू अनुभव और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित निम्नलिखित व्यापक ग्राहक अधिकार नीति ऐसी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए लाई गई है।

**डीबीएस की ग्राहक अधिकार नीति** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित बैंकों के ग्राहकों के मूल अधिकारों को सुनिश्चित करती है। यह ग्राहक के अधिकारों और बैंक की जिम्मेदारियों के बारे में भी बताता है। यह नीति बैंक या उसके एजेंटों द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी उत्पादों और सेवाओं पर लागू होती है, चाहे वह काउंटर पर, फोन पर, डाक द्वारा, इंटरैक्टिव इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से, इंटरनेट पर या किसी अन्य तरीके से प्रदान की गई हो।

### 1. निष्पक्ष व्यवहार का अधिकार

**ग्राहक और वित्तीय सेवा प्रदाता दोनों को शालीन व्यवहार प्राप्त करने का अधिकार है। वित्तीय उत्पादों की प्रस्तुति और वितरण के समय लिंग, आयु, धर्म, जाति और शारीरिक क्षमता जैसे आधार पर ग्राहक के साथ गलत भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।**

उपरोक्त अधिकार के अनुसरण में, डीबीएस बैंक निम्नलिखित कार्य करेगा-

- i) ग्राहकों के साथ सभी व्यवहारों में न्यूनतम मानक निर्धारित करके अच्छी और निष्पक्ष बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देना;
- ii) बैंक और ग्राहक के बीच एक निष्पक्ष और न्यायसंगत संबंध को बढ़ावा देना;
- iii) ग्राहकों को सेवा प्रदान करने वाले बैंक कर्मचारियों को पर्याप्त और उचित रूप से प्रशिक्षित करना;
- iv) सुनिश्चित करना कि कर्मचारी सदस्य ग्राहकों और उनके व्यवसाय में तत्परता और विनम्रता से अपनी जिम्मेदारी निभाएं;
- v) सभी ग्राहकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना और लिंग, आयु, धर्म, जाति, साक्षरता, आर्थिक स्थिति, शारीरिक क्षमता आदि के आधार पर किसी भी ग्राहक के साथ भेदभाव न करना। हालांकि, बैंक के पास कुछ विशेष योजनाएं या उत्पाद होते हैं जो एक लक्षित बाजार समूह के सदस्यों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं या ग्राहक विभेदन के लिए रक्षात्मक, व्यावसायिक रूप से स्वीकार्य आर्थिक तर्क का उपयोग कर सकते हैं। बैंक के पास, महिलाओं या पिछड़े वर्गों के लिए सकारात्मक कार्रवाई हेतु योजनाएं या उत्पाद भी होती हैं। ऐसी योजनाएं/उत्पाद अनुचित भेदभाव के समान नहीं होंगी। ऐसी विशेष योजनाओं या शर्तों का औचित्य बैंक द्वारा जहां भी आवश्यक होगा, समझाया जाएगा;
- vi) सुनिश्चित करना कि उपरोक्त सिद्धांत सभी उत्पादों और सेवाओं की प्रस्तुति के समय लागू हों;
- vii) सुनिश्चित करना कि पेश किए गए उत्पाद और सेवाएं प्रासंगिक कानूनों और विनियमों के अनुसार हों;

जहां बैंक अपने ग्राहकों को परेशानी मुक्त और निष्पक्ष व्यवहार प्रदान करने का प्रयास करेगा, वहीं बैंक अपने ग्राहकों से बैंक के साथ अपने व्यवहार में विनम्रता और ईमानदारी बनाए रखने की अपेक्षा करेगा।

बैंक का यह भी प्रयास होगा कि वह अपने ग्राहकों को बैंक की आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित करे और बैंक के आंतरिक शिकायत तंत्र के तहत अपने सभी प्रतिकारों का उपयोग करने के बाद वैकल्पिक मंचों से संपर्क करें।

## 2. पारदर्शिता, निष्पक्ष और ईमानदार व्यवहार का अधिकार

डीबीएस बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि उसके द्वारा तैयार किए गए अनुबंध या समझौते पारदर्शी हों, आसानी से समझे जा सकें और आम व्यक्ति को अच्छी तरह से सूचित किया जा सके। उत्पाद की कीमत, संबंधित जोखिम, उत्पाद के जीवन चक्र पर उपयोग को नियंत्रित करने वाले नियम और शर्तें और ग्राहक तथा वित्तीय सेवा प्रदाता की जिम्मेदारियों का स्पष्ट रूप से प्रकटन किया जाना चाहिए। ग्राहक को अनुचित व्यापार या विपणन प्रथाओं, जबरदस्ती संविदात्मक शर्तों को मानना या भ्रामक अभ्यावेदन के अधीन नहीं होना चाहिए। अपने रिश्ते के दौरान, वित्तीय सेवा प्रदाता ग्राहक को शारीरिक नुकसान पहुँचाने की धमकी नहीं दे सकता, अनुचित दबाव नहीं डाल सकता है, या खुले तौर पर उत्पीड़न में शामिल नहीं हो सकता है।

उपरोक्त अधिकारों के अनुसरण में बैंक निम्नलिखित कार्य करेगा –

- i) पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करना ताकि ग्राहक को इस बात की बेहतर समझ हो सके कि वह बैंक से उचित/निष्पक्ष रूप से क्या अपेक्षा कर सकता है;
- ii) सुनिश्चित करना कि ग्राहक के साथ बैंक का व्यवहार समता, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता के नैतिक सिद्धांतों पर आधारित हों;
- iii) ग्राहकों को अपने उत्पादों और सेवाओं, नियमों और शर्तों, और ब्याज दरों / सेवा शुल्कों के बारे में सरल और आसानी से समझने योग्य भाषा में और पर्याप्त जानकारी के साथ स्पष्ट जानकारी प्रदान करना ताकि ग्राहक को उत्पाद के बारे में उचित और सूचित विकल्प चुनने में मदद मिल सके;
- iv) सुनिश्चित करना कि सभी नियम और शर्तें निष्पक्ष हों और संबंधित अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों को स्पष्ट रूप से और जहां तक संभव हो सादे और सरल भाषा में निर्धारित करना;
- v) उत्पाद से जुड़े प्रमुख जोखिमों के साथ-साथ किसी भी ऐसी विशेषता से अवगत कराना जो विशेष रूप से ग्राहक के लिए नुकसान कारक हो। उत्पाद या सेवा से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी) उत्पाद की प्रस्तुति के समय ग्राहक के ध्यान में स्पष्ट रूप से लाई जाएंगी। सामान्य तौर पर, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी शर्तें ग्राहक के भविष्य के चुनाव को बाधित नहीं करेंगी।
- vi) ब्याज दरों, शुल्क और प्रभारों की जानकारी या तो शाखाओं के नोटिस बोर्ड पर या वेबसाइट या हेल्प-लाइन या हेल्प-डेस्क के माध्यम से उपलब्ध कराना और जहां उपयुक्त हो ग्राहक को सीधे सूचित किया जाएगा;

- vii) टैरिफ अनुसूची को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करना और इसकी एक प्रति ग्राहक के अवलोकन के लिए प्रत्येक शाखा में उपलब्ध कराई जाएगी। अपनी शाखाओं में शाखा में टैरिफ अनुसूची की उपलब्धता के बारे में एक नोटिस भी प्रदर्शित करेगा;
- viii) टैरिफ शेड्यूल में ग्राहक द्वारा चुने गए उत्पादों और सेवाओं पर लागू होने वाले सभी शुल्कों, यदि कोई हो, का विवरण देना;
- ix) संशोधित नियमों और शर्तों के प्रभावी होने से कम से कम एक महीने पहले ग्राहक को एक पत्र या खाता विवरण, एसएमएस या ईमेल के माध्यम से नियम और शर्तों में किसी भी बदलाव के बारे में सूचित करना;
- x) सुनिश्चित करना कि इस तरह के परिवर्तन एक महीने का नोटिस देने के बाद ही संभावित प्रभाव से लागू किए जाएं। यदि बैंक ने ऐसा कोई नोटिस, जो ग्राहक के अनुकूल हो, दिए बिना कोई परिवर्तन किया है, तो वह ऐसे परिवर्तन होने के 30 दिनों के भीतर परिवर्तन की सूचना देगा। यदि परिवर्तन ग्राहक के लिए प्रतिकूल है, तो न्यूनतम 30 दिनों की पूर्व सूचना प्रदान की जाएगी और ग्राहक को 60 दिनों के भीतर संशोधित शुल्क या ब्याज का भुगतान किए बिना खाता बंद करने या कोई अन्य उचित खाता खुलवाने का विकल्प प्रदान किए जा सकते हैं;
- xi) ग्राहक द्वारा चुने गए उत्पाद/सेवाओं को नियंत्रित करने वाले किसी भी नियम और शर्तों का पालन न करने/उल्लंघन के मामले में लगाए जाने वाले दंड के बारे में जानकारी प्रदान करना;
- xii) जमाराशियों, चेकों की वसूली, शिकायत निवारण, क्षतिपूर्ति और देय राशि की वसूली और सुरक्षा कब्जे पर बैंकों की नीतियों को सार्वजनिक डोमेन पर प्रदर्शित करना;
- xiii) यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करना कि किसी विशेष उत्पाद में काम करने वाले कर्मचारियों को ग्राहकों को सम्पूर्ण, सही और ईमानदारी से प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाए;
- xiv) कोई उत्पाद/सेवा उपलब्ध करने के लिए जमा किए गए आवेदनों की स्वीकृति/अस्वीकृति के बारे में बैंक द्वारा तय की गई उचित समय अवधि के भीतर आवेदक को सूचना देना सुनिश्चित करना और आवेदन को स्वीकार न करने/अस्वीकार करने के कारणों को लिखित में बताना। ऐसी अवधि के बारे में बैंक की वेबसाइट और विशेष उत्पाद या सेवा के आवेदन में भी अधिसूचित किया जाएगा।
- xv) निम्नलिखित के बारे में जानकारी स्पष्ट रूप से संप्रेषित करना –
  - a. किसी विशेष उत्पादों में विरति,
  - b. उनके कार्यालयों का स्थानांतरण
  - c. काम के समय में बदलाव
  - d. टेलीफोन नंबरों में बदलाव
  - e. किसी कार्यालय या शाखा को बंद करना

इनके लिए कम से कम 30 दिनों की अग्रिम सूचना दी जाएगी। यह भी पुष्टि करना कि जानकारी का प्रकटीकरण उत्पाद / संबंध के जीवनचक्र के दौरान चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है और उनके द्वारा पूरी लगन से इसका

पालन किया जाएगा। वेब साइट सहित संचार के सभी संभावित चैनलों का उपयोग सुनिश्चित करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी परिवर्तनों की जानकारी ग्राहक को पहले ही बता दी जाए;

- xvi) उत्पाद बेचने के समय ग्राहक को कानून और/या बैंकिंग विनियमन में निहित अधिकारों और दायित्वों की सलाह देना, जिसमें ग्राहक के संदेह पर, पाए गए या सामने आए किसी भी महत्वपूर्ण घटना की सूचना देने की आवश्यकता शामिल है;
- xvii) कोई उत्पाद या सेवा उपलब्ध करने के लिए ग्राहक द्वारा संपर्क किए जाने पर, बैंक के कर्मचारी सदस्य उत्पाद/सेवा से संबंधित सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करेंगे और बाजार में उपलब्ध समान उत्पादों पर सूचनात्मक संसाधनों के बारे में भी जानकारी प्रदान करेंगे ताकि ग्राहकों को एक सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके;
- xviii) ग्राहक को उचित या संविदात्मक पूर्व सूचना दिए बिना ग्राहक संबंध समाप्त न करना;
- xix) ग्राहक के खाते प्रबंधन, वित्तीय संबंध के प्रबंधन में हर प्रकार से ग्राहक की सहायता करना और ऐसा करने के लिए बैंक के दायरे में आने वाली नियमित इनपुट प्रदान करना, जैसे कि खाता विवरण / पासबुक, अलर्ट, उत्पाद के प्रदर्शन के बारे में समय पर जानकारी, सावधि जमा परिपक्वता आदि;
- xx) सुनिश्चित करना कि सभी विपणन और प्रचार सामग्री सुस्पष्ट हों और भ्रामक न हों;
- xxi) ग्राहक को शारीरिक नुकसान पहुंचाने, दबाव डालने या उनके साथ ऐसा व्यवहार करने की धमकी न देना, जिसे समुचित रूप से अकारण उत्पीड़न माना जाए। केवल सामान्य उपयुक्त व्यावसायिक प्रथाओं का पालन सुनिश्चित करना;
- xxii) सुनिश्चित करना कि उत्पादों/सेवाओं और इसकी संरचना पर लगाए गए शुल्क और प्रभार ग्राहक के लिए अनुचित न हों।

### 3. अनुकूलता का अधिकार

**डीबीएस बैंक द्वारा पेश किए गए उत्पाद ग्राहक की जरूरतों के अनुकूल होंगे और ग्राहक की वित्तीय परिस्थितियों और समझ के आकलन पर आधारित होंगे।**

उपरोक्त अधिकार के अनुसरण में, बैंक निम्नलिखित कार्य करेगा -

- i) उत्पाद बेचने से पहले सुनिश्चित करना कि ग्राहकों के लिए उत्पादों की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति मौजूद हो;
- ii) यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना कि बेचा या पेश किया गया उत्पाद या सेवा ग्राहक की जरूरतों के लिए उपयुक्त हों और उसके द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर ग्राहक की वित्तीय स्थिति और समझ के अनुपयुक्त न हों। इस तरह के मूल्यांकन को इसके रिकॉर्ड में उचित रूप से प्रलेखित किया जाएगा

- iii) तीसरे पक्ष के वित्तीय उत्पादों के विपणन और वितरण के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति को लागू करने के बाद ही तीसरे पक्ष के उत्पादों को बेचना, यदि ऐसा करने का अधिकार हो;
- iv) बैंक से प्राप्त किए गए किसी भी सेवा के एवज ग्राहक को किसी भी तीसरे पक्ष के उत्पादों की सदस्यता लेने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए;
- v) सुनिश्चित करना कि तीसरे पक्ष के उत्पादों सहित बेचे जा रहे उत्पाद या दी जा रही सेवा मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुसार हों;
- vi) बैंक को उत्पाद की उपयुक्तता का निर्धारण करने में सक्षम बनाने के लिए बैंक द्वारा मांगी गई सभी प्रासंगिक और उचित जानकारी तुरंत और ईमानदारी से प्रदान करने के लिए ग्राहक को उसकी जिम्मेदारी के बारे में सूचित करना।

#### 4. निजता का अधिकार

ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी को तब तक गोपनीय रखा जाना चाहिए जब तक कि उन्होंने वित्तीय सेवा प्रदाता को जानकारी प्रकट करने की विशिष्ट सहमति न दी हो या ऐसी जानकारी कानून के तहत प्रदान करने की आवश्यकता न हो या यह अनिवार्य व्यावसायिक उद्देश्य (उदाहरण के लिए, क्रेडिट सूचना कंपनियों को) हेतु प्रदान न की जा रही हो। संभावित अनिवार्य व्यावसायिक उद्देश्यों के बारे में ग्राहक को पहले ही सूचित कर दिया जाना चाहिए। ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक या अन्य सभी प्रकार के संचारों से सुरक्षा का अधिकार है, जो उनकी गोपनीयता का उल्लंघन करते हैं।

उपरोक्त अधिकार के अनुसरण में, बैंक निम्नलिखित कार्य करेगा -

- i) ग्राहक की व्यक्तिगत जानकारी को निजी और गोपनीय मानेगा (तब भी जब ग्राहक अब हमारे साथ बैंकिंग नहीं कर रहा है), और, एक सामान्य नियम के रूप में, ऐसी जानकारी को किसी अन्य व्यक्ति/संस्थानों, उसकी सहायक कंपनियों/सहयोगियों, टाई-अप संस्थानों आदि को किसी भी उद्देश्य से प्रकट नहीं करेगा, जब तक:
  - a. ग्राहक इस तरह के प्रकटीकरण के लिए सुस्पष्ट लिखित में अधिकार नहीं देता है;
  - b. प्रकटीकरण कानून/विनियमन द्वारा बाध्य नहीं है;
  - c. जनहित में न हो, यानी बैंक का जनता के प्रति प्रकटन का कर्तव्य न हो;
  - d. प्रकटीकरण के माध्यम से बैंक को अपने हितों की रक्षा न करनी हो;
  - e. यह एक नियामक रूप से अनिवार्य व्यावसायिक उद्देश्य के लिए न हो, जैसे कि क्रेडिट सूचना कंपनियों या ऋण संग्रह एजेंसियों को डिफॉल्ट का प्रकटन करना
- ii) सुनिश्चित करना कि ऐसे संभावित अनिवार्य प्रकटीकरण ग्राहक को तुरंत लिखित में सूचित किए जाएं;
- iii) मार्केटिंग के उद्देश्य से ग्राहक की व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग या साझा नहीं करेगा, जब तक कि ग्राहक ने इसके लिए विशेष रूप से अधिकार न दिया हो;

- iv) ग्राहकों के साथ संवाद करते समय भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2010 (राष्ट्रीय ग्राहक वरीयता रजिस्ट्री) का पालन करेगा।

## 5. शिकायत निवारण और क्षतिपूर्ति का अधिकार

ग्राहक को प्रस्तुत किए गए उत्पादों के लिए वित्तीय सेवा प्रदाता को जवाबदेह ठहराने और किसी भी वैध शिकायत के निवारण के लिए एक स्पष्ट और आसान तरीका चुनने का अधिकार है। प्रदाता को तीसरे पक्ष के उत्पादों की बिक्री से उत्पन्न शिकायतों के निवारण की सुविधा भी देनी चाहिए। वित्तीय सेवा प्रदाता को गलतियों, आचरण में चूक, साथ ही गैर-निष्पादन या प्रदर्शन में देरी की क्षतिपूर्ति के लिए अपनी नीति को संप्रेषित करना चाहिए, चाहे वह प्रदाता के कारण हुआ हो या अन्यथा हुआ हो। नीति में ऐसी घटनाओं के होने पर ग्राहक के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण होना चाहिए।

उपरोक्त अधिकार के अनुसरण में, डीबीएस बैंक निम्नलिखित कार्य करेगा -

- i) सभी त्रुटियों से सहानुभूतिपूर्वक और शीघ्रता से निपटना;
- ii) गलतियों को तुरंत सुधारना;
- iii) गलत तरीके से और गलती से लगाए गए किसी भी शुल्क को रद्द करना;
- iv) ग्राहक को किसी भी प्रत्यक्ष वित्तीय नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करना जो ग्राहक को बैंक की चूक के कारण हुआ हो।

बैंक निम्नलिखित कार्य भी करेगा -

- i) ग्राहक के लिए उपलब्ध शिकायत निवारण प्रक्रिया सहित अपनी ग्राहक शिकायत निवारण नीति को सार्वजनिक क्षेत्र में रखना;
- ii) निर्धारित समय के भीतर और अनुबंध की सहमत शर्तों के अनुसार ग्राहक लेनदेन के संचालन / निपटान में देरी / चूक के लिए क्षतिपूर्ति की नीति को सार्वजनिक क्षेत्र में रखना;
- iii) एक मजबूत और उत्तरदायी शिकायत निवारण प्रक्रिया सुनिश्चित करना और ग्राहक द्वारा संपर्क के लिए शिकायत समाधान प्राधिकरण के बारे में स्पष्ट जानकारी देना;
- iv) ग्राहकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र को आसानी से सुलभ बनाना;
- v) ग्राहक को सलाह देना कि शिकायत कैसे करना है, किससे शिकायत की जानी है, कब जवाब की अपेक्षा करनी है और अगर ग्राहक परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो क्या करना चाहिए;
- vi) शिकायत निवारण प्राधिकारी/नोडल अधिकारी का नाम, पता और संपर्क विवरण प्रदर्शित करना। शिकायतों के समाधान के लिए सभी सेवा वितरण स्थानों पर समय सीमा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित/सुलभ होगा;
- vii) यदि शिकायत का निवारण पूर्व-निर्धारित समय के भीतर नहीं होता है, तो शिकायतकर्ता को बैंकिंग लोकपाल को अपनी शिकायत एस्कलेट करने के विकल्प के बारे में सूचित करना;

- viii) बैंकिंग लोकपाल योजना के बारे में जानकारी को सार्वजनिक क्षेत्र में रखना;
- ix) ग्राहक संपर्क बिंदुओं पर उस बैंकिंग लोकपाल का नाम और संपर्क विवरण प्रदर्शित करेगा जिसके अधिकार क्षेत्र में बैंक की शाखा आती है।

इसके अलावा, बैंक निम्नलिखित कार्य करेगा -

- i) तीन कार्य दिवसों के भीतर सभी औपचारिक शिकायतों (इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतों सहित) को स्वीकार करना और इसे उचित अवधि के भीतर हल करने के लिए काम करना, जो 30 दिनों (शिकायत निवारण के लिए उच्चतम दर्जे के आंतरिक अधिकारी को शिकायत एस्कलेट करने और उसकी जांच में लगने वाले समय सहित) से अधिक न हो। ग्राहक से मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त होने के बाद 30 दिन की अवधि की गणना की जाएगी;
- ii) यदि ग्राहक किसी विवाद के समाधान से, या किसी विवाद से निपटने की प्रक्रिया के परिणाम से संतुष्ट नहीं है, तो पीड़ित ग्राहकों को शिकायत के समाधान के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना की जानकारी प्रदान करना;

इसके अलावा, डीबीएस बैंक a) ग्राहक संबंध स्थापित करते समय, उत्पादों के विनिर्देशों के अनुसार प्रदर्शन न करने या गलतियाँ होने की स्थिति में, नुकसान के लिए देयता, साथ ही सभी पक्षों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्ट रूप से बताएगा। हालांकि, बैंक बाहरी परिस्थितियों के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो उसके यथोचित नियंत्रण से परे है (जैसे कि बाजार परिवर्तन, बाजार चर के कारण उत्पाद का प्रदर्शन आदि)। b) सुनिश्चित करेगा कि यदि बैंक किसी भी विवादित लेनदेन (ब्याज / शुल्क के साथ) के संबंध में ग्राहक की पर्याप्त रूप से गलती नहीं दिखा सकता है तो ग्राहक को बिना किसी देरी और आपत्ति के धन वापस किया जाए।

\*\*\*\*\*